

जापान रेलवे तकनीकी सेवा व नेशनल हाईस्पीड रेल कॉर्पोरेशन के बीच समझौता

## स्लैब ट्रैक बनाने की तकनीक का 1000 श्रमिकों को दिया जाएगा प्रशिक्षण

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

□□□□□□□□

गांधीनगर बुलेट ट्रेन दौड़ाने में इस्तेमाल होने वाले स्लैब ट्रैक बनाने की तकनीक का श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए जापान रेलवे तकनीकी सेवा (जेएआरटीएस) व नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) के बीच समझौता हुआ है। जेएआरटीएस ट्रैक निर्माण संबंधी कार्यों के लिए प्रशिक्षण व प्रमाणन और सलाहकार नेशनल हाई स्पीड रेल के गलियारे

को सेवाएं देगी।

मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (एमएचएसआर) परियोजना के ट्रैक पैकेज को भारतीय ठेकेदारों के लिए इस शर्त पर खोला गया है कि साइट पर काम शुरू होने से पहले ठेकेदारों के यहां काम करने वाले श्रमिकों को शिनकानसेन ट्रैक तकनीक संबंधित विशेष तकनीकी प्रशिक्षण हासिल करनी होगी। शिनकानसेन जापान की उच्च गति रेल में उपयोग की जाने वाली स्लैब ट्रैक प्रणाली बहुत अनोखी है और इसके लिए विशेष मशीन का



इस्तेमाल होगा। इसी तरह की प्रणाली मुंबई-अहमदाबाद हाईस्पीड रेल परियोजना के लिए भी अपनाई जाएगी।

समझौते के अनुसार जेएआरटीएस प्रशिक्षण एवं प्रमाणन

(टी एंड सी) सेवाएं (कार्य की शुरुआत से पहले) और सलाहकार सेवाएं प्रदान करेगा। इन सेवाओं में सामग्री तैयार करने, क्लास रूम प्रशिक्षण और ऑनसाइट प्रशिक्षण शामिल हैं। ट्रैक ठेकेदारों को

ज्यादातर प्रशिक्षण भारत में, सूरत में अस्थायी सुविधा

अनुमान के मुताबिक, इसके तहत 1000 से अधिक लोगों को प्रशिक्षित और प्रमाणित किया जाएगा। ज्यादातर प्रशिक्षण भारत में होगा। इसके लिए सूरत में अलग से अस्थायी प्रशिक्षण सुविधा तैयार की जाएगी। रेल वेल्डिंग के लिए 'एनक्लोज्ड आर्क' (ईए) वेल्डिंग का कार्य अभी भारत में नहीं किया जा सकता। इसके चलते 'एनक्लोज्ड आर्क' (ईए) पर लगभग 60 दिनों का प्रशिक्षण जापान में दिया जाएगा। इसके अलावा, कोविड-19 की स्थिति के आधार पर कुछ इंजीनियरों को जापान में ऑनसाइट प्रशिक्षण देने की योजना भी बनाई जा सकती है। यह पहल 'ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी' में मदद करेगी और भारतीय ट्रैक इंजीनियरों की कुशलता बढ़ाएगी। यह भारत को उच्च गति रेल ट्रैक के निर्माण में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अहम कदम भी है।

जेएआरटीएस के साथ अलग से को अंतिम रूप दिया जा चुका है और सर्विस समझौता करना होगा। इस इसे एमओयू में शामिल कर लिया सर्विस समझौते के नियम एवं शर्तों गया है।